an>

Title: Election of two members from Lok Sabha to the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : अध्यक्ष महोदया, मैं पूरताव करता हूं -

"कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियमावली, 2006 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्यों के रूप में, दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य को निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (d) of sub-section (3) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, read with sub-rule (1) of Rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises, for a period of two years, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.